

1. दिनांक- 23.10.2020 को समय- 11.00 बजे गाड़ी स०- 05910 डाउन के जाने के बाद देखा गया कि एक व्यक्ति दो ट्राली बैग लेकर थानाबिहपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म न०- 02 के पश्चिम दिशा से बाहर निकलने के लिए फुट ओवर ब्रिज के पारफ आ रहा है। शक होने पर चौकी कमांडर/थाना बिहपुर साथ स्टाफ के सहयोग से उसे रोका गया। पूछने पर अपना नाम- मुकेश कुमार चौधरी उम्र- 32 वर्ष, पिता- स्व० उगो चौधरी, सा०- वभनगामा, वार्ड न०- 07, थाना- बिहपुर, जिला- भागलपुर, बताया। जिसके द्वारा ले जा रहे ट्राली बैग को उसी से खुलवाकर देखा गया जो एक बैग में इस्तेमाली कपडे के बीच छुपाकर रखा हुआ 12 बोतल BLENDERS PRIDE अंग्रेजी शराब तथा दूसरे ट्राली बैग में जिसमें 11 बोतल BLENDERS PRIDE तथा 06 बोतल AFTER DARK अंग्रेजी शराब कुल- 29 बोतल अंग्रेजी शराब था। जिसका अनुमानित कीमत- 29000/- रूपये आंका गया। पकडे हुए व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही करके हुए राजकीय रेल पुलिस/ थाना बिहपुर को सुपुर्द किया गया।



2. दिनांक 20.10.2020 को श्री सुनिल कुमार आसूचना अधिकारी राजस्व आसूचना निदेशालय क्षेत्रीय ईकाई मुजफ्फरपुर एवं उनकी टीम द्वारा गाड़ी सं0 05909 अप में मादक पदार्थों की धड़-पकड़ के सम्बन्ध में आसूचना के सत्यापन हेतु रेसुबल/पोस्ट /मुजफ्फरपुर से सहायता की माग की गयी पदोपरान्त गाड़ी सं0 05909 के मुजफ्फरपुर प्लेटफार्म सं0 03 पर समय 16.40 बजे आगमन पर बोगी सं0 H-A-1 के बर्थ सं0 01 एवं 03 पर यात्रा कर रहे यात्रीयों क्रमशः बबीदा देवी उम्र-27 वर्ष, पुत्री महेश लाल C/O सुनिल यादव , वार्ड नं0 72 डीपीएस स्कूल के पास मस्जिद के विपरीत , थाना+पोस्ट- दीदारगंज, जिला-पटना जो अपने भापिजे मुकेश उम्र-22 वर्ष, पिता- जगदीश नारायण , ग्राम- सैदपुर , थाना+पोस्ट- परसा, जिला-सारण बिहार को ड्रग्स एंस्करी के संदेह के आधार पर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतारा गया एवं रेसुबल/पोस्ट/ मुजफ्फरपुर पर संध्या समय 05.00 बजे गवाहों के समझ प्लाशी लिये जाने पर बबीदा देवी के पास से एक लाल रंग का रियल-मी कम्पनी का मोबाईल , एक काले रंग का आई0 टेल कम्पनी का मोबाईल , पैन कार्ड सं0 DVTPD 2360 H, नगद 1500 रूपया , गाड़ी सं0 05909 का यात्रा टिकट , पीएनआर नं0 6643183165 , दीमापुर से हाजीपुर तक बबीदा देवी एवं मुकेश कुमार का स्पाईस जेट का दो बोर्डिंग का पास , मुकेश कुमार , बबीदा देवी के नाम , दिनांक 18.10.2020 को निर्गम एवं बबीदा देवी के पिठु बैग से दैनिक कपड़ों के अलावा छः अदद पारदर्शी प्लास्टिक के पैक हल्के भूरे रंग का पाउडर (जाचोपरान्त प्रिबिंधि ड्रग्स एवं हिरोईन ) एवं मुकेश कुमार पिता- जगदीश नारायण के पास से क्रमशः एक नीले रंग का रियलमी कम्पनी का मोबाईल , आधार कार्ड सं0 288784468180 , नगद 1300 रूपया एवं उसके पिठु बैग से दैनिक उपयोग के वस्तु बरामद हुये । बबीदा देवी के पास से बरामद समान जिसमे 06 अदद प्रिबिंधि ड्रग्स एवं हिरोईन पाया गया जो कुल वजन 1.500 कि0ग्रा0, जिसका मुल्य पीन करोड़ रूपये प्रि किलो ग्राम के दर से कुल मूल्य 04 करोड़ , 50 लाख रूपया करीब आका गया । इस सम्बन्ध में डीआरआई/ मुजफ्फरपुर द्वारा NDPS एक्ट 1985 की धारा 08 (c) के अंर्गम कांड संख्या 07/2020 , दिनांक 21.10.2020 विरुद्ध गिरफ्तार बबीदा देवी के अंकिम कर न्यायिक हिरासम में मंडल कारा मुजफ्फरपुर भेजा गया ।



3. दिनांक 24.10.2020 को गाड़ी सं0-02564 (दिल्ली-सहरसा क्लोन एक्सप्रेस) में ऑन ड्यूटी एस्काॅर्ट पार्टी द्वारा कोच नं0-बी/01, के बर्थ सं0-36 के नीचे पीन ट्रॉली बैग लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ पाया। अगल-बगल के यात्रियों से उक्त सामान के बारे में पूछा गया तो किसी भी यात्री ने उक्त ट्रॉली बैग को अपना नहीं बताया। उक्त गाड़ी मुजफ्फरपुर स्टेशन आगमन के उपरांत रे0सु0ब0/पोस्ट/मुजफ्फरपुर के अधिकारी साथ स्टाफ व मार्गरक्षण पार्टी के द्वारा उक्त ट्रॉली बैग को रे0सु0ब0/पोस्ट/मुजफ्फरपुर में लाया गया तथा गवाहों के समक्ष चेक करने पर कुल पीन ट्रॉली बैग एवं एक पीठू बैग में कुल 228 अदद्, हरियाणा में निर्मित, एपिसोड कम्पनी का विहस्की पाया गया। जिसमें 226 अदद् 180 एमएल, 01 अदद् 375 एमएल व्हाईट एवं ब्लू प्रिमियम विहस्की, 01 अदद् 500 एमएल मेडूसा प्रीमियम स्ट्रोंग बियर पाया गया। उक्त बरामद शराब का कुल मूल्य-46080/- रूपया आंका गया है। उपरोक्त जप्त शूदा सामान को जप्ती सूची बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु राजकीय रेल पुलिस मुजफ्फरपुर को सौपा गया।



4. **"Meri Saheli"** awareness campaign on women security being conducted by RPF Sonpur Division.

